छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

सोमवार, दिनांक 2 फरवरी, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की जानकारी

1. (*क्र. 06) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना हेतु 31-12-2008 तक कितने एम. ओ. यू. किए गए हैं ? (ख) नए उद्योग स्थापना हेतु किए गए एम. ओ. यू. में से कितने उद्योग में निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में नए उद्योग की स्थापना करने हेतु दिनांक 31-12-2008 तक 13 एम. ओ. यू. किए गए हैं. (ख) उपरोक्त 13 एम. ओ. यू. में से 07 उद्योगों में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है.

"निर्मल ग्राम योजना" के तहत् घोषित जिलेवार निर्मल ग्रामों की संख्या

2. (*क्र. 1) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) "निर्मल ग्राम योजना" प्रारंभ होने के वर्ष से वर्ष 2007-08 तक कुल कितने ग्राम "निर्मल ग्राम" घोषित किये गये हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) "निर्मल ग्राम" घोषित होने के बाद किन-किन "निर्मल ग्राम" की अपात्रता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) "निर्मल ग्राम पुरस्कार" योजना प्रारंभ होने के वर्ष से वर्ष 2007-08 तक कुल 102 ग्राम पंचायतों को "निर्मल ग्राम" घोषित किया गया है. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) राजनांदगांव जिले के छुईखदान विकासखण्ड को "निर्मल ग्राम पुरस्कार" से घोषित ग्राम पंचायत अतरिया की अपात्रता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है.

आरंग विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पेयजल हेतु निर्मित पानी टंकियां

3. (*क्र. 49) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आरंग विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में पानी की टंकिया निर्मित है एवं कितनी निर्माणाधीन है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : आरंग विधान सभा क्षेत्र के 17 गांवों में पानी की टंकियां निर्मित है एवं 06 गांवों में पानी की टंकियां निर्माणाधीन.

सरगुजा एवं कोरिया जिले में संचालित क्रेशर की जानकारी

4. (*क्र. 30) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा एवं कोरिया जिले में कुल कितने क्रेशर संचालित हैं ? उन्हें कितनी समयावधि के लिए लीज दी गई है ? नाम एवं क्षेत्र सहित जानकारी दें ? (ख) क्या क्रेशर संचालकों के द्वारा पर्यावरण एवं विस्फोट की अनुमति प्राप्त की गई है ?

---

† परिशिष्ट "एक"

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में 79 एवं कोरिया जिले में कुल 103 क्रेशर संचालित हैं. क्रेशर संचालकों को स्वीकृत लीज/अस्थायी अनुज्ञा पत्र का विवरण परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) क्रेशर संचालकों द्वारा पर्यावरण एवं विस्फोटक के संबंध में प्राप्त अनुमति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कालम 8 एवं 9 पर दर्शित है.

निरस्त किए गए एम. ओ. यू. की अद्यतन स्थिति

5. (*क्र. 31) **मोहम्मद अकबर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह सितम्बर, 2007 में उद्योग स्थापित नहीं करने के कारण कहां-कहां के किनके-किनके एम. ओ. यू. निरस्त किये गये हैं ? इन प्रकरणों की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) वर्ष 2008 में एम. ओ. यू. के अनुसार उद्योग लगाने हेतु किनकी-किनकी समय-सीमा कब-कब समाप्त हो गई है ? इनके विरुद्ध अलग-अलग क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) माह सितम्बर, 2007 में एम. ओ. यू. क्रियान्वयन प्रारंभ न करने के कारण 18 एम. ओ. यू. निरस्त किए गए थे. अद्यतन स्थिति का विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) वर्ष 2008 में 9 एम. ओ. यू. में क्रियान्वयन प्रारंभ करने की समय सीमा समाप्त हुई है, जिसका विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. एम. ओ. यू. में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार सभी 9 एम. ओ. यू. में परियोजना का क्रियान्वयन प्रगति में है, अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायपुर जिले में विद्युत तारों की चोरी की शिकायतों पर कार्यवाही

6. (*क्र. 23) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसींवा, तिल्दा एवं आरंग के अंतर्गत किन-किन गांवों में विद्युत प्रवाह के लिए लगाए गए बिजली के तारों की चोरी की शिकायतें मिली हैं ? 1 जनवरी, 2008 से 15 जनवरी, 2009 की स्थिति में ब्यौरा दें ? चोरी के संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ? (ख) कंडिका "क" के चोरी गए विद्युत तारों के बदले क्या विभाग ने पुनः विद्युत तार लगाने की कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2008 से 15 जनवरी, 2009 के दौरान विकासखण्ड धरसींवा, तिल्दा एवं आरंग में 47 ग्रामों में बिजली के तारों की चोरी के कुल 63 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. इन ग्रामों की सूची †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. विद्युत तारों की चोरी के संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई है. (ख) जी हां. उत्तरांश "क" में उल्लेखित 63 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में तार बदले जा चुके हैं तथा शेष 23 प्रकरणों में तार लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

रायगढ़ जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में रिक्त पदों की पूर्ति

7. (*क्र. 57) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में भृत्य एवं रसोईयों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने रिक्त हैं ? (ख) 01 अप्रैल, 2007 से 30 अक्टूबर, 2008 तक भृत्य एवं रसोईयों के कितने पद भरे गये ? इन पदों को भरने के लिये कब-कब विज्ञापन जारी किये गये ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में भृत्य के 13 एवं रसोइया के 182 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से भृत्य का 01 एवं रसोइया के 80 पद रिक्त हैं. (ख) 54 पद भरे गये हैं, इन पदों को भरने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, बल्कि संबंधित पंचायत/स्थानीय निकाय के अनुमोदन से कलेक्टर दर पर कार्य लिया जा रहा है.

कोरबा जिले में खुली नयी खदानों (कोयला-गिट्टी) खोलने का प्रावधान

8. (*क्र. 53) **श्री रामदयाल उइके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कुल कितनी कोयला खदानें खोलने का प्रावधान किया गया है ? (ख) क्या मदनपुर साऊथ ब्लॉक एवं मदनपुर नार्थ कोल ब्लॉक खोलने का प्रावधान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला कोरबा में कुल 13 कोयला खदानें खोलने का प्रावधान किया गया है. (ख) जी हां.

† परिशिष्ट "दो"		†† परिशिष्ट "तीन"

नगरी विकासखण्ड में स्वीकृत एवं निर्मित बालिका आश्रम

9. (*क्र. 47) **श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के अंतर्गत आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा कितने बालिका आश्रम स्वीकृत हैं ? (ख) धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड के अंतर्गत आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा कितने बालिका आश्रम का निर्माण हुआ है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 09 बालिका आश्रम स्वीकृत हैं. (ख) 03 बालिका आश्रम का निर्माण हुआ है.

महासमुंद जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखंड अंतर्गत विद्युतीकरण

10. (*क्र. 39) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखंड अंतर्गत 1 जनवरी, 09 की स्थिति में कितने ग्राम एवं मजरा टोला, मुहल्ला में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? (ख) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितने ग्रामों टोलों, मुहल्लों को वर्ष 2008-09 में सघन विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है, कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01 जनवरी 2009 की स्थिति में महासमुंद जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड का कोई ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है. उपलब्ध जनगणना विवरण, जिसमें ग्रामों के अन्तर्गत वार्डों के रूप में मजरों/टोलों/मुहल्लों का उल्लेख है, के अनुसार विकासखण्ड सरायपाली के 27 एवं विकासखण्ड बसना के 47 मजरे/टोले अविद्युतीकृत हैं. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् विकासखण्ड सरायपाली के 81 ग्रामों के 84 मजरे/टोलों में तथा विकासखण्ड बसना के 125 ग्रामों के 151 मजरे/टोलों में वर्ष 2008-09 में सघन विद्युतीकरण प्रस्तावित किया गया है. इन मजरों-टोलों में विद्युतीकरण यथाशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के. वी. के सब स्टेशनों को स्वीकृति

11. (*क्र. 13) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के. वी. के कितने सब स्टेशन कहां-कहां स्थापित हैं ? (ख) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने 33/11 के. वी. सब स्टेशन कहां-कहां के स्वीकृति हेतु लंबित हैं ? स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 15-1-2009 की स्थिति में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में 33/11 के. वी. के 9 सब-स्टेशन स्थापित है. स्थापना स्थल के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं. (ख) वर्तमान में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 33/11 के. वी. सब स्टेशन का कोई कार्य स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है. अत: स्वीकृत करने की समयावधि बताए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

महासमुंद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल व्यवस्था

12. (*क्र. 73) **श्री अग्नि चंद्राकर :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के लिए कितने बोरिंग हैं ? कितने बोर का पानी पीने योग्य नहीं है ? (ख) कितने बोर खराब हैं ? उनको कब तक सुधार लिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) महासमुंद विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल हेतु कुल 1757 बोर हैं. 103 बोर का पानी पीने योग्य नहीं है. (ख) कुल स्थापित हैण्डपंपों में से 43 हैण्डपंप बंद हैं, जिनका सुधार कार्य शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा.

बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखंड में मजरों टोलों का विद्युतीकरण एवं लो वोल्टेज की शिकायत

13. (*क्र. 43) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड बिलाईगढ़ एवं

† परिशिष्ट "चार"

कसडोल में सत्र 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में कितने ग्रामों के मजरों टोलों को विद्युतीकृत किया गया है, कितने ग्रामों के कितने मजरों टोलों विद्युतविहीन हैं ? (ख) बिलाईगढ़ एवं कसडोल वि. खं. के कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की शिकायत है ? नाम सहित बतायें लो वोल्टेज समस्या के निराकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सत्र 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में 15 जनवरी 2009 तक बिलाईगढ़ विकासखण्ड के 11 एवं कसडोल विकासखण्ड के 28 ग्रामों के मजरे-टोलों को विद्युतीकृत किया गया है. उपलब्ध जनगणना विवरण, जिसमें ग्रामों के अन्तर्गत वार्डों के रूप में मजरों/टोलों/मुहल्लों का उल्लेख है, के अनुसार बिलाईगढ़ विकासखण्ड के 20 ग्रामों के 23 मजरे-टोले एवं कसडोल विकासखण्ड के 10 ग्रामों के 14 मजरे-टोले विद्युतविहीन हैं. (ख) बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड के कुल 7 ग्रामों में लो व्होल्टेज की शिकायत प्राप्त हुई है. ग्रामों के नाम † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं. इन सभी ग्रामों में लो व्होल्टेज समस्या के निराकरण के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, जिनके कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं.

जिला बिलासपुर में ट्यूबवेल हेतु पृथक विद्युत लाईन एवं ग्रामों में विद्युतीकरण

14. (*क्र. 37) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बिलासपुर में कृषकों के ट्यूबवेल को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 में किस-किस ग्राम में अलग से विद्युत लाईन खींची गयी है वर्षवार गांव का नाम बतायें ? (ख) वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में लोरमी तहसील जिला-बिलासपुर के कौन-कौन से गांवों में मजराटोला योजना एवं राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया गया है ? वर्षवार, गांव का नाम एवं योजना का नाम बतायें ? (ग) वर्ष 2006-07, 2007-08 में लोरमी तहसील जिला-बिलासपुर में कौन-कौन से गांवों में सी. एस. ई. बी. द्वारा नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) बिलासपुर जिले में कृषकों के ट्यूबवेलों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु अटल ज्योति योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में किसी भी ग्राम में अलग लाईन नहीं खींची गई है. तथापि वर्ष 2007-08 में उक्त योजना के अंतर्गत कुल 09 ग्रामों यथा लोफन्दी, खरगहना, लमेर, गौवबंध, कछार, अमतरा, सेन्दरी, बेरला एवं भथरी में अलग से लाईन खींची गई है. (ख) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में बिलासपुर जिले के लिये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत नहीं थी. अत: इन वर्षों में उक्त योजना के तहत ग्रामों एवं मजरे-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है. तथापि इन वर्षों में लोरमी तहसील जिला बिलासपुर में विद्युतीकृत किये गये मजरे-टोलों के ग्रामों की वर्षवार, योजनावार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाई गई है. (ग) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में लोरमी तहसील के ग्रामों में लगाये गये नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की सूची †† संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाई गई है.

मिश्रित उर्वरक बनाने हेतु लायसेंस का प्रावधान एवं वर्ष 2007 में रायपुर जिले में उर्वरक के नमूने निरस्त करने का कारण

15. (*क्र. 33) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उर्वरक निर्माता कंपनी को मिश्रित उर्वरक बनाने हेतु लायसेंस देने हेतु क्या प्रावधान है ? (ख) क्या माह मई-जून, 2007 में उप संचालक, कृषि, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर द्वारा उप संचालक कृषि जिला रायपुर कृषि को उर्वरक विश्लेषण हेतु भेजे गए नमूने निरस्त करने हेतु पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो कब ? (ग) उर्वरक विश्लेषण हेतु भेजे गए नमूने को निरस्त करने के क्या कारण थे एवं पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि हुई है, तो कब हुई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) उर्वरक निर्माता कंपनी को मिश्रित उर्वरक बनाने हेतु लायसेंस देने हेतु, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 13 के उपखण्ड 2 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मिश्रित उर्वरक के निर्माण के लिए उर्वरक निर्माता कंपनी को पंजीयन प्राधिकारी द्वारा लायसेंस दिये जाने का प्रावधान है. (ख) जी हां. पत्र क्र. 127, दिनांक 31-05-2007 को लिखा गया. (ग) प्राप्त उर्वरक नमूनों में से कुछ के फार्म-पी में कोड नंबर कालम में उपरी लेख (ओव्हर राइटिंग) होने के कारण 26 नमूने निरस्त किये गये. निरस्त किये गये नमूनों के परीक्षण के उद्देश्य से संचालनालय के द्वारा दिनांक 01-03-2008 को उप संचालक कृषि, रायपुर को गार्ड सेम्पल प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया. उप संचालक कृषि, रायपुर ने दिनांक 01-03-2008 को ही गार्ड सेम्पल विश्लेषण हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रायपुर को उपलब्ध कराये. प्रयोगशाला में विश्लेषण उपरांत उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 05-03-2008 को परिणाम संबंधित को प्रेषित किये गये. विश्लेषण में 20 नमूने मानक एवं 6 नमूने अमानक पाये गये. उप संचालक कृषि, रायपुर के द्वारा अमानक पाये गये नमूनों के उर्वरक स्कंध पर "उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985" के तहत भंडारण/वितरण पर दिनांक 12-03-2008 को प्रतिबंध लगाया गया. साथ ही संबंधित निर्माता/विक्रेता को कारण बताओ सूचना जारी की गई एवं तदोपरान्त चेतावनी भी दी गई.

† परिशिष्ट "पांच" †† परिशिष्ट "छ:"

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मरों की स्थिति

16. (*क्र. 9) **महन्त रामसुन्दर दास :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 09-01-2009 की स्थिति में कितने ट्रांसफार्मर जले हुए हैं एवं कब-कब से जले हैं ? (ख) जले ट्रांसफार्मरों को बदलने एवं सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 09-01-09 की स्थिति में 06 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं. जलने की दिनांक सहित इनकी सूची † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है. (ख) उक्त सभी ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं.

भिलाई में छ. ग. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की भूमि का गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरण

17. (*क्र. 61) **श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की कितनी भूमि भिलाई में आवासीय कालोनी निर्माण हेतु राज्य हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित की गयी ? (ख) उपरोक्त हस्तांतरित भूमि के एवज में बीज एवं फार्म विकास निगम को कितनी भूमि उपलब्ध करायी गयी ? (ग) उपलब्ध कराई गयी भूमि कहां पर एवं हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित की गयी भूमि से कितनी दूरी पर स्थित है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा 78.08 एकड़ भूमि भिलाई में आवासीय कालोनी निर्माण हेतु राज्य हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित की गयी है. (ख) उपरोक्त हस्तांतरित भूमि के एवज में बीज एवं कृषि विकास निगम को 78.08 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है. (ग) उपलब्ध कराई गई भूमि ग्राम-आमदी में स्थित खसरा क्रमांक 21, 24, 44, 23 एवं 45 का भाग एवं 19 का भाग है तथा हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित की गई भूमि से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित है.

लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभागों को आवंटित बजट की राशि

18. (*क्र. 2) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग को बजट में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त राशि में से दिसम्बर, 2008 तक संबंधित विभागों द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? पृथक-पृथक जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग को बजट में आवंटित की गई राशि निम्नानुसार है :—

अनु.	विभाग का नाम	बजट अनुमान 2008-09 (राशि करोड़ में)
1.	लोक निर्माण विभाग	2297.50
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1425.31
3.	जल संसाधन विभाग	1059.76

(ख) विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवंटित की गई राशि में से दिसंबर 2008 तक संबंधित विभागों द्वारा व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :—

अनु.	विभाग का नाम	दिसंबर 2008 तक व्यय राशि (राशि करोड़ में)
1.	लोक निर्माण विभाग	1068.32
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	680.83
3.	जल संसाधन विभाग	535.04

† परिशिष्ट "सात"

आरंग विधान सभा क्षेत्रांतर्गत पम्प कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन

19. (*क्र. 50) **श्री रूद्र कुमार गुरू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि** (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गांवों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं एवं कितने गांवों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं ? (ख) पम्प कनेक्शन हेतु कितने आवेदन दिनांक 09 जनवरी, 2009 तक लम्बित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के सभी 147 ग्रामों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं. वर्तमान में ऐसा कोई ग्राम नहीं है, जिसमें विद्युत कनेक्शन नहीं है. (ख) दिनांक 9 जनवरी, 2009 की स्थिति में आरंग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पम्प कनेक्शन हेतु 107 औपचारिकतापूर्ण आवेदनों के कार्य लंबित हैं.

रायपुर एवं कबीरधाम जिले में सीमेंट उद्योगों की स्थापना हेतु किए गए एम. ओ. यू. का विवरण

20. (*क्र. 32) **मोहम्मद अकबर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि** (क) रायपुर एवं कबीरधाम जिले में सीमेंट उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 2007 एवं 2008 में कब-कब किनके-किनके साथ कितनी-कितनी क्षमता एवं लागत से कितने समय में सीमेंट उद्योग लगाने हेतु एम. ओ. यू. निष्पादित किया गया है ? (ख) उक्त लगाने वाले उद्योगों को अलग-अलग शासन की ओर से क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी? क्या-क्या सुविधाएं 09-01-2009 तक प्रदान कर दी गयी है ? इन उद्योगों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2007 एवं 2008 में सीमेंट उद्योग हेतु निष्पादित एम. ओ. यू. में से 7 निवेशकों द्वारा रायपुर जिले तथा 1 निवेशक द्वारा कबीरधाम जिले का चयन किया गया है. विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कालम 1 से 8 में दर्शित है. (ख) इन उद्योगों को शासन की औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 में घोषित सुविधाएं उनकी पात्रतानुसार प्रदान की जावेंगी. स्थापनाधीन इकाईयों में से कुछ इकाईयों को दिनांक 09-01-2009 तक शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का विवरण तथा इन इकाईयों की अद्यतन स्थिति का विवरण † संलग्न परिशिष्ट के कालम 9 पर दर्शित है.

महासमुंद जिले में अ. जा./अ. ज. जा. बालक/बालिका आश्रम एवं भवनों के निर्माण की जानकारी

21. (*क्र. 40) **डॉ. हरिदास भारद्वाज : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि** (क) महासमुन्द जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक स्तर के कितने अ. जा./अ. ज. जा. बालक एवं बालिका आश्रम हैं ? नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त आश्रमों में कितने के भवन हैं तथा कितने भवन विहीन हैं ? अलग-अलग बतावें ? (ग) 1 जनवरी, 2009 की स्थिति में कितने भवन निर्माण अधूरे हैं तथा उनकी स्वीकृति दिनांक तथा स्वीकृत राशि सहित बतावें ? (घ) क्या यह सत्य है कि उड़ेला अ. ज. जा. बालिका आश्रम भवन एवं तोरेकेला आश्रम भवन अधूरा है यदि हां, तो क्या कारण है ? उक्त भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा बतावें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अनुसूचित जनजाति के 11 बालक एवं बालिका प्राथमिक स्तर के आश्रम हैं, अनुसूचित जाति की कोई आश्रम नहीं हैं. नाम सहित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) 04 आश्रमों के भवन हैं तथा 07 भवन विहीन हैं. अलग-अलग जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ग) 04 भवन निर्माण अधूरे हैं, स्वीकृति दिनांक तथा स्वीकृति राशि सहित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है. (घ) जी हां. क्रियान्वयन एजेंसी परिवर्तन के कारण विलंब हुआ है. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रांन्तर्गत संचालित क्रेशर उद्योगों की जानकारी

22. (*क्र. 58) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गिट्टी पत्थर क्रेशर उद्योग कार्यरत हैं ? (ख) इनमें से कितने क्रेशर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं कितने क्रेशर राजकीय राजमार्ग के किनारे हैं ? (ग) इनमें से कितने क्रेशर मालिकों को पत्थर खदानें आवंटित की गई हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है.

---

† परिशिष्ट "आठ"   †† परिशिष्ट "नौ"

कोरबा जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत स्वीकृत राशि

23. (*क्र. 54) **श्री रामदयाल उइके :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा जिले के कितने ग्रामों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : कोरबा जिले के 622 ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण कार्य किये जा रहे हैं. उक्त योजना एकजाई स्वीकृत की गई है न कि ग्रामवार. कोरबा जिले की इस योजना के लिये 3603.39 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

जिला दुर्ग में मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त आय

24. (*क्र. 14) **श्री ताम्रध्वज साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले की कृषि उपज मंडियों एवं राईस मिलर्स के द्वारा वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में दिनांक 31-12-2008 तक खरीफ एवं रबी फसल की कितने क्विंटल धान की खरीदी की गयी ? (ख) धान की खरीदी से मण्डी शुल्क के रूप में राज्य शासन को वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कितनी आय की प्राप्ति हुई ? (ग) प्राप्त राशि से किसानों के लिये कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कृषि उपज मंडियों द्वारा धान की खरीदी नहीं की जाती है. दुर्ग जिले की कृषि उपज मंडियों, अर्थात् दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के मंडी क्षेत्र में राईस मिलर्स द्वारा वर्ष 2006-07, वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में 01 अप्रैल, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 तक खरीफ एवं रबी फसल अवधि में खरीदी गई धान की मात्रा निम्न तालिका में वर्णित है :-

क्र.	वर्ष	धान क्रय मात्रा (क्विंटल में)		योग (क्विंटल में)
		रबी	खरीफ	
1	2006-07	830941	349078	1180019
	2007-08	983535	1641661	2625196
	2008-09 में 01 अप्रैल 2008 से 31-12-2008 तक	1620907	1176232	2797139
	योग	**3435383**	**3166971**	**6602354**

(ख) धान की खरीदी से मंडी शुल्क के रूप में राज्य शासन को कोई भी आय नहीं प्राप्त होती है. दुर्ग जिले की तीनों मंडियों को 2006-07 एवं 2007-08 में धान की खरीदी से कुल मंडी शुल्क से क्रमश: राशि रु. 12,15,82,646.00 एवं रु. 11,70,31,872.00 की आय प्राप्त हुई. (ग) मंडी शुल्क से प्राप्त राशि में से तथा राज्य मंडी बोर्ड व केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त राशि में से वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में राज्य मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति द्वारा दुर्ग जिले में किसानों के हित में स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा † संलग्न परिशिष्ट में वर्णित है.

बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड में संचालित नलजल योजना

25. (*क्र. 44) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड के ग्रामों में कितने हैण्डपंप एवं नलजल योजना संचालित है ? 2000 से अधिक संख्या वाले कितने ग्रामों में नलजल योजना नहीं है नाम सहित जानकारी दें ? (ख) बिलाईगढ़-कसडोल विकासखण्ड के कितने ग्राम पेयजल स्रोत विहीन हैं ? नाम सहित जानकारी दें ? ग्राम टुन्ड्रा एवं गिधौरी में पेयजल आपूर्ति की क्या व्यवस्था है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) बिलाईगढ़ विकासखण्ड के 222 ग्रामों में 1766 हैण्डपम्प एवं 10 नलजल योजना तथा कसडोल विकासखण्ड के 234 ग्रामों में 1533 हैण्डपम्प एवं 14 नलजल योजना संचालित है. 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 3 ग्राम, ग्राम रायकोना एवं ग्राम बालपुर विकासखण्ड बिलाईगढ़ तथा ग्राम सरवा विकासखण्ड कसडोल में नलजल योजना नहीं है. (ख) बिलाईगढ़ कसडोल विकासखण्ड में कोई भी ग्राम पेयजल स्रोत विहीन नहीं है. ग्राम टुण्ड्रा में 29 हैण्डपम्प एवं नलजल योजना तथा ग्राम गिधौरी में 10 हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है.

----

† परिशिष्ट "दस"

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

रायपुर जिले में शाकम्भरी योजना के तहत दिए गए पंप सेट

1. (क्र. 34) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 में शाकम्भरी योजना के तहत कितने किसानों को पंप सेट दिया गया है ? (ख) क्या उक्त अवधि में उप संचालक, रायपुर द्वारा जिला-रायपुर के किसानों द्वारा निजी संस्था या विक्रेता से पंप क्रय करने पर अनुदान का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किसानों को किया गया है ? यदि हां तो कब एवं नहीं तो क्यों ? (ग) क्या उक्त अवधि में घटिया किस्म के पंप कृषकों को दिये जाने की शिकायतें हुई हैं ? यदि हां तो, उक्त क्या कार्यवाही की गई है ? यदि की गई है तो कब ? यदि नहीं की गई है तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायपुर जिले में शाकम्भरी योजना के तहत वर्ष 2005-06 में 348, वर्ष 2006-07, में 1430 तथा वर्ष 2007-08 में 1282 पंपसेट किसानों को दिये गये. (ख) जी हां. किसान द्वारा निजी संस्था या विक्रेता से पंप क्रय किये जाने पर अनुदान राशि के भुगतान की तिथियों का विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) रायपुर जिले में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में शाकम्भरी योजना के तहत घटिया किस्म के पंप कृषकों को दिये जाने बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परंतु वर्ष 2007-08 में बिलाईगढ़ विकासखण्ड में घटिया पंप प्रदाय किये जाने की प्राप्त शिकायत, जांच में प्रमाणित नहीं पाई गई.

कोरबा जिले में लैंको पॉवर प्रोजेक्ट हेतु कृषकों तथा शासकीय भूमि की खरीदी

2. (क्र. 38) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कोरबा जिले में लैंको पॉवर प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है ?. यदि हां, तो वर्तमान में इस पॉवर प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न "क" में पूछे गये पॉवर प्रोजेक्ट द्वारा कृषकों की एवं शासकीय भूमि की खरीदी की जा रही है ? यदि हां, तो किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि मांगी जा रही है, वर्ष 2007-08 का विवरण दें ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि कोरबा जिला मुख्यालय में लैंको पॉवर प्रोजेक्ट को भूमि खरीदने या आवंटित करने हेतु माह नवम्बर 2008 से 09-01-09 के मध्य जन सुनवाई का आयोजन किया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा जन सुनवाई की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां, कोरबा में मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर प्राईवेट लिमिटेड की ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है. परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है, अत: विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा है. (ख) प्रश्न "क" में पूछे गये पॉवर प्रोजेक्ट द्वारा कृषकों की एवं शासकीय भूमि की खरीदी नहीं की गई है. अत: वर्ष 2007-08 की जानकारी निरंक है. (ग) कोरबा जिला मुख्यालय में संस्थान को भूमि खरीदने या आवंटित करने हेतु माह नवम्बर 2008 से 09-1-09 के मध्य जन सुनवाई का आयोजन नहीं किया गया. अपितु पर्यावरण व वन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल-रायपुर एवं कोरबा के द्वारा इकाई क्रमांक-4 के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 07-01-09 को तहसील कार्यालय, कोरबा में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया था.

विद्युत मंडल द्वारा क्रय किए गए मीटर

3. (क्र. 62) **श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2003-2004 से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दिनांक 31-12-2008 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा कितने मीटर खरीदे गए ? (ख) इनमें से कितने मीटर खराब पाए गए ? कितने मीटरों को निर्माता कम्पनी द्वारा वापस लिया गया ? (ग) इन मीटर निर्माता/सप्लायर कम्पनी पर खराब मीटर सप्लाई करने के कारण कितनी शास्ति अधिरोपित की गयी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा विभिन्न मीटर निर्माता/सप्लायर कंपनी को कुल 25,65,479 मीटरों के क्रय हेतु आदेश जारी किए गए हैं. (ख) आदेशित मीटर के एवज में प्राप्त कुल मीटरों में से 86,309 मीटर खराब पाये गए हैं. तदानुसार 68,764 मीटर संबंधित कंपनी द्वारा वापस ले लिये गये हैं व शेष मीटरों को वापस करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है. (ग) निविदा/क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार मीटर निर्माता/सप्लायर कंपनी को खराब मीटर/मीटरों को बदलकर या अपेक्षित सुधारकर दिया जाना अनिवार्य है. सभी सप्लायर कंपनियों द्वारा इस शर्त का पालन किया जा रहा है अत: शास्ति आरोपित करने का प्रश्न नहीं उठता.

---

† परिशिष्ट "ग्यारह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 1) के भाग (क) की जानकारी]

" निर्मल ग्राम पुरस्कार" योजना प्रारंभ होने के वर्ष से वर्ष 2007-08 तक घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जिला का नाम	घोषित निर्मल ग्राम पंचायतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	रायपुर	10
2.	राजनांदगांव	28
3.	बस्तर+ (नारायणपुर)	27
4.	बिलासपुर	22
5.	कोरबा	15
	योग	**102**

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 31) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

माह सितम्बर, 2007 में निरस्त किए गए एमओयू की सूची

क्र. (1)	इकाई का नाम (2)	एम. ओ. यू. का दिनांक (3)	प्रस्तावित जिला (4)	टीप (5)
1.	अक्षय इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. रायपुर.	08-09-2003	राजनांदगांव	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया था. मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-01-2008 के फलस्वरूप एमओयू पुनः प्रभावशील है.
2.	वन्दना इनर्जी एण्ड स्टील प्रा. लि. रायपुर.	08-09-2003	रायपुर व कोरबा	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया. निवेशक द्वारा एमओयू निरस्तीकरण के विरुद्ध दायर याचिका मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन है.
3.	नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. मुम्बई.	08-09-2003	दुर्ग	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
4.	आर्यन इस्पात एंड पावर प्रा. लि., बिलासपुर.	16-08-2004	रायपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
5.	एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक लि. नई-दिल्ली.	16-08-2004	रायपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
6.	मैगनम स्टील लि., नई-दिल्ली.	16-08-2004	दुर्ग	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
7.	जीपीटी मेटल इण्डस्ट्रीज लि. कोलकाता.	16-08-2004	बिलासपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
8.	छत्तीसगढ़ आयरन एंड स्टील कंपनी प्रा. लि., मुम्बई.	16-08-2004	दुर्ग या रायगढ़	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
9.	मेगा पावर बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स प्रा. लि. मुम्बई.	16-08-2004	दुर्ग या रायगढ़	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
10.	आनंद इस्पात उद्योग प्रा. लि., भिलाई	16-08-2004	दक्षिण बस्तर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	फेरल इंजीनियरिंग लिमिटेड, लंदन.	13-09-2004	छत्तीसगढ़	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
12.	लाईटैग एशिया लि., लंदन एवं लेंको अमरकंटक पावर प्रा. लि., हैदराबाद.	13-09-2004	छत्तीसगढ़	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
13.	मे. विगवास स्टील एंड एलायज लि., कोलकाता.	07-01-2005	जांजगीर-चांपा	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
14.	मे. वसुन्धरा स्टील एंड पावर लि., नई-दिल्ली.	07-01-2005	बिलासपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
15.	मे. रेक्सन स्ट्रीप्स लिमिटेड, उड़ीसा.	07-01-2005	बिलासपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
16.	मे. पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्रा. लि., दिल्ली.	07-01-2005	दुर्ग	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया था. मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-01-2008 के फलस्वरूप एमओयू पुनः प्रभावशील है.
17.	मे. श्री श्याम ग्लोबल प्रा. लि., जांजगीर-चांपा.	07-01-2005	रायपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.
18.	मे. टेक्सास पावरजेन, यू. एस. ए.	22-05-2005	बिलासपुर	दिनांक 29-09-2007 को एमओयू निरस्त किया गया.

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2008 में क्रियान्वयन की समयसीमा समाप्त एमओयू की सूची

क्र.	इकाई का नाम	एम. ओ. यू. का दिनांक	एमओयू में क्रियान्वयन की कालावधि	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मे. टाटा स्टील, मुंबई.	04-06-2005	3 वर्ष	भू-अर्जन प्रक्रियाधीन है.
2.	मे. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लि., हजीरा.	05-07-2005	3 वर्ष	भू-अर्जन प्रक्रियाधीन है.
3.	मे. इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, रायगढ़.	06-10-2006	2 वर्ष	उत्पादन प्रारंभ.
4.	मे. श्री बंजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर.	06-10-2006	2 वर्ष	उत्पादन प्रारंभ.
5.	मे. एस. के. एस. इस्पात लिमिटेड, मुम्बई.	06-10-2006	2 वर्ष	उत्पादन प्रारंभ.
6.	मे. रायपुर एलायज़ एंड स्टील लिमिटेड, रायपुर.	06-10-2006	2 वर्ष	उत्पादन प्रारंभ.
7.	मे. लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई.	06-10-2006	2 वर्ष	निर्माण कार्य अंतिम चरण में.
8.	मे. अंबुजा सीमेंट इस्टर्न लिमिटेड, रायपुर.	07-12-2006	2 वर्ष	निर्माण कार्य अंतिम चरण में.
9.	मे. श्री बजरंग मेटालिक्स एंड पावर लि. रायपुर.	21-12-2008	2 वर्ष	उत्पादन प्रारंभ.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 23) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 01 जनवरी 2008 से 15 जनवरी 2009 के दौरान बिजली के तारों की चोरी की शिकायत प्राप्त ग्रामों की सूची

विकासखण्ड-धरसींवा

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)
1.	मनोहरा
2.	धरसींवा
3.	निलजा खार
4.	दतरेंगा
5.	सिलयारी
6.	कपसदा
7.	मेहर खार
8.	रायता
9.	मोहगांव
10.	टेकरी
11.	छेरीखेड़ी
12.	पवनीखार
13.	दोंदेखुर्द
14.	रावाभांठा
15.	मटिया
16.	मनसा

विकासखण्ड-तिल्दा

1.	कोदवा
2.	बरतोरी (सिलयारी)
3.	भुरसुदा
4.	नेवरा
5.	कुरा
6.	बरौदा खुर्द
7.	अड़सेना
8.	तरपोंगी
9.	कोसरा
10.	बरतोरी (तुलसी)
11.	तुलसी
12.	चापा
13.	छछानपैरी
14.	खपरी कला
15.	बरौदा
16.	गुलगुल
17.	किरना

विकासखण्ड-आरंग

(1)	(2)
1.	चटौद
2.	कटिया
3.	नवागांव
4.	परसवानी पंडा
5.	नरदहा
6.	पुलपुल
7.	पचेड़ा
8.	कोहरा
9.	कुरूद
10.	मंदिरहसौद
11.	बकतरा
12.	गोढ़ी
13.	रीको
14.	कुरूद बांधा

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 13) के भाग (क) की जानकारी]

15 जनवरी 2009 की स्थिति में बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यमान 33/11 के. व्ही. सब स्टेशनों की स्थापना स्थल के नाम

क्रमांक (1)	33/11 के. व्ही. सब-स्टेशन का स्थापना स्थल (2)
1.	बेमेतरा
2.	मटका
3.	सरदा
4.	बेरला
5.	नेवनारा
6.	गोढ़ी
7.	देवरबीजा
8.	बालसमुंद
9.	दाढ़ी

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 43) के भाग (ख) की जानकारी]

बिलाईगढ़ एवं कसडोल विकासखण्ड के लो व्होल्टेज की शिकायत वाले ग्रामों की सूची

क्रमांक (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	बिलाईगढ़	लखौदा
2.	बिलाईगढ़	भिरपुर
3.	बिलाईगढ़	बिलासपुर
4.	बिलाईगढ़	कैथा
5.	बिलाईगढ़	केड़िया खार
6.	बिलाईगढ़	भटगांव
7.	कसडोल	मडकड़ा

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 37) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में लोरमी तहसील के विद्युतीकृत किये गये मजरों-टोलों के ग्रामों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ष (2)	योजना का नाम (3)	ग्राम का नाम (4)
1.	2006-07	प्रधानमंत्री ग्राम विद्युतीकरण योजना	डोंगरिया
2.			टोलगी
3.			बुधवारा
4.			टिंगीपुर
5.			सरगरही
6.			डोमनपुर
7.			सिंघनपुरी
8.		11वाँ वित्त आयोग	फुलवारी
9.			परेदशी कापा
10.			खैरवार खुर्द
11.	2007-08	प्रधानमंत्री ग्राम विद्युतीकरण योजना	सुकली
12.			बिचारपुर
13.			हड़गांव
14.			पैजनिया
15.			गुरुवाईनडबरी
16.			बांधा
17.			लगरा
18.			कंचनपुर
19.			चोरहागांव

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में लोरमी तहसील के ग्रामों में लगाये गये नये अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ष (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	2006-07	बाजारपारा
2.		सारधा
3.		वरबसपुर
4.		सिलतरा
5.		घानाघाट
6.	2007-08	रैतराकला
7.		कुकुरहट्टा
8.		खेखतरा
9.		फौजदारकापा
10.		जूनापानी
11.		नवांगांव वेंकट
12.		डोढीपारा
13.		उजियारपुर

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 9) के भाग (क) की जानकारी]

दिनांक 09-01-2009 की स्थिति में जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मरों की उनके जलने की तिथि सहित सूची

क्र. (1)	ग्राम/स्थान का नाम (2)	विफल होने की तिथि (3)
1.	करनौद (धुआनार खार)	17-12-2008
2.	डोंगिया	31-12-2008
3.	मरघट्टी नं.-4	04-01-2009
4.	मल्दा	06-01-2009
5.	बिर्रा (धीवराखार)	07-01-2009
6.	नगारीडीह	07-01-2009

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 32) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

रायपुर एवं कवीरधाम जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु निष्पादित एमओयू

क्र.	इकाई का नाम	एम. ओ. यू. का दिनांक	एमओयू के क्रियान्वयन न प्रारंभ करने की कालावधि	उत्पाद	वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित पूंजी निवेश करोड़ रु. में	प्रस्तावित जिला	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
जिला-रायपुर								
1.	मे. इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, कोलकाता.	23-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट 3. पावर	2.70 मिलि. टन 4.05 मिलि. टन 50 X 2 मेगावाट	1600.00	रायपुर	नवीन परियोजना. 159.889 हे. शास. भूमि हस्तांतरण का आवेदन उद्योग संचालनालय में प्रक्रियाधीन है तथा 247.689 हे. भूमि पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध 62.616 हेक्टे. भूमि क्रय की जा चुकी है.
2.	मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला ग्राम, नागदा, मध्यप्रदेश.	30-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट 3. केप्टिव पावर प्लांट	0.45 मिलि. टन 0.94 मिलि. टन 30 मेगावाट	180.00	रायपुर	विस्तार परियोजना. ग्राम रवान, जिला रायपुर स्थित संयंत्र का विस्तार. निर्माण कार्य चालू है.
3.	मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला ग्राम, नागदा, मध्यप्रदेश.	30-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट	2.72 मिलि. टन 3.50 मिलि. टन	1200.00	रायपुर	नवीन परियोजना.
4.	मे. मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड, नई-दिल्ली.	30-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट	1.40 मिलि. टन 2.00 मिलि. टन	1400.00	रायपुर	नवीन परियोजना.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	मे. रूंगटा माइन्स लिमिटेड, चाईबासा, झारखण्ड.	30-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट	1.00 मिलि. टन 1.49 मिलि. टन	400.00	रायपुर	नवीन परियोजना.
6.	मे. सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई.	30-03-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट 3. केप्टिव पावर प्लांट	0.20 मिलि. टन 0.60 मिलि. टन 11 मेगावाट	109.60	रायपुर	विस्तार परियोजना. ग्राम बैकुंठ, जिला रायपुर स्थित सीमेंट संयंत्र का विस्तार. निर्माण कार्य चालू है.
7.	मे. श्री सीमेंट लिमिटेड, बेवार, जिला-अजमेर (राजस्थान)	07-06-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट	1.90 एमटीपीए 2.20 एमटीपीए	1000.00	रायपुर	नवीन परियोजना. 49.827 हेक्टेयर भूमि क्रय करने स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रमाण-पत्र जारी किया गया है. 26.143 हेक्टेयर शास. भूमि हस्तांतरण का आवेदन प्रक्रियाधीन है.
जिला - कबीरधाम								
1.	मे. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, राजगंगपुर, उड़ीसा.	29-11-2007	2 वर्ष	1. क्लिंकर 2. सीमेंट	2.00 एमटीपीए 3.00 एमटीपीए	1150.00	कबीरधाम	नवीन परियोजना.
						7039.60		

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 40) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

महासमुंद जिला के विकास खण्ड सरायपाली एवं बसना में संचालित अनुसूचित जनजाति आश्रमों की जानकारी

क्र. (1)	विकास खण्ड (2)	संचालित आश्रम का नाम (3)	भवन की जानकारी (4)
1.	सरायपाली	1. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बैदपाली	भवन है
	सरायपाली	2. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम चटटीगिरौला	भवन है
	सरायपाली	3. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम छुईपाली (सिंघोड़ा)	भवन विहीन
	सरायपाली	4. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम अमरकोट	भवन विहीन
	सरायपाली	5. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम, डुडुमचुंवा	भवन विहीन
	सरायपाली	6. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, टेमरी	भवन विहीन
2.	बसना	7. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम छोटेटेमरी	भवन है
	बसना	8. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम उड़ेला	भवन विहीन
	बसना	9. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम बसना	भवन है
	बसना	10. अनुसूचित जनजाति संयुक्त आश्रम शाला फुलवारी	भवन विहीन
	बसना	11. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम, खोकसा	भवन विहीन

प्रपत्र "ब"

महासमुंद जिला के विकास खण्ड सरायपाली एवं बसना के अधूरे आश्रम भवनों की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	संचालित आश्रम का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सरायपाली	1. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम छुईपाली (सिंघोड़ा)	06-11-08	50.60
	सरायपाली	2. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम अमरकोट	04-09-08	40.94
2.	बसना	3. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम उड़ेला	23-03-01	30.34
	बसना	4. अनुसूचित जनजाति संयुक्त आश्रम शाला फुलवारी	25-05-07	37.50

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 14) के भाग (ग) की जानकारी]

वर्ष 2006-07

क्र.	मंडी का नाम	कार्य स्थल	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (राशि रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	मूल मंडी प्रांगण	कृषक विश्राम गृह	37.45	कार्य पूर्ण
2.		मूल मंडी प्रांगण	नीलाम कार्यालय	20.88	कार्य पूर्ण
3.		मूल मंडी प्रांगण	भुगतान केन्द्र सह व्यापारी विश्राम गृह.	29.08	कार्य पूर्ण
4.		मूल मंडी प्रांगण	प्रांगण में प्रवेश द्वार	6.05	कार्य पूर्ण
5.		मूल मंडी प्रांगण	हमाल तौल्लया विश्राम गृह एवं नीलाम कार्यालय में चहार दीवारी.	7.81	कार्य पूर्ण
6.		मूल मंडी प्रांगण	प्रांगण प्रवेश एवं कार्यालय भवन के सामने रेलिंग निर्माण.	3.81	कार्य पूर्ण
7.		मूल मंडी प्रांगण	बाउंड्रीवाल निर्माण	2.06	कार्य पूर्ण
8.		मूल मंडी प्रांगण	ढके नीलाम चबूतरों को अस्थायी शॉपकम गोदाम.	2.18	कार्य पूर्ण
9.		मूल मंडी प्रांगण	कम्प्यूटर कक्ष निर्माण	0.60	कार्य पूर्ण
10.		मूल मंडी प्रांगण	नलकूप खनन फल सब्जी मंडी	0.63	कार्य पूर्ण
11.		मूल मंडी प्रांगण	नलकूप खनन फल सब्जी मंडी	0.63	कार्य पूर्ण
12.		मूल मंडी प्रांगण	सी. सी. रोड के दोनों ओर मुरुम पट्टी निर्माण.	2.56	कार्य पूर्ण
13.		मूल मंडी प्रांगण	कार्यालय भवन	12.76	कार्य पूर्ण
14.		मूल मंडी प्रांगण	कव्हर्ड शेड सब्जी थोक विक्रेताओं के लिये.	98.80	कार्य पूर्ण
15.		मूल मंडी प्रांगण	कव्हर्ड शेड छोटे व्यापारियों के लिये	14.39	कार्य पूर्ण
16.		मूल मंडी प्रांगण	गेट काम्पलेक्स	15.45	कार्य पूर्ण
17.		मूल मंडी प्रांगण	डब्ल्यू बी. एम. रोड	50.24	कार्य पूर्ण
18.		मूल मंडी प्रांगण	सी. सी. रोड	187.22	कार्य पूर्ण
19.		मूल मंडी प्रांगण	ड्रेन वर्क	18.11	कार्य पूर्ण
20.		मूल मंडी प्रांगण	सायकल स्टैण्ड	10.82	कार्य पूर्ण
21.		मूल मंडी प्रांगण	शौचालय	2.46	कार्य पूर्ण
22.		मूल मंडी प्रांगण	विद्युत व्यवस्था	12.21	कार्य पूर्ण
23.		मूल मंडी प्रांगण	कम्पोष्ट खाद बनाने हेतु टेंक निर्माण	11.60	कार्य पूर्ण
24.		मूल मंडी प्रांगण	15 नग दुकानें सब्जी थोक विक्रेताओं के लिए ग्रुप-अ.	69.76	कार्य पूर्ण
25.		मूल मंडी प्रांगण	15 नग दुकानें सब्जी थोक विक्रेताओं के लिए ग्रुप-ब.	69.76	कार्य पूर्ण
26.		मूल मंडी प्रांगण	20 नग दुकानें थोक विक्रेताओं के लिए	29.24	कार्य पूर्ण
27.		मूल मंडी प्रांगण	16 नग दुकानें आलू प्याज के थोक विक्रेताओं के लिए.	71.61	कार्य पूर्ण
28.		मूल मंडी प्रांगण	10 नग दुकानें फल थोक विक्रेताओं के लिए ग्रुप-अ.	64.06	कार्य पूर्ण
29.		मूल मंडी प्रांगण	10 नग दुकानें फल थोक विक्रेताओं के लिए ग्रुप-ब.	63.65	कार्य पूर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	दुर्ग	मूल मंडी प्रांगण	ओवर हेड टेंक	11.25	कार्य पूर्ण
31.		उपमंडी प्रांगण अहिवारा	शेण्ड्री शॉप	11.77	कार्य पूर्ण
32.		उपमंडी प्रांगण रूदा (गुंडरदेही)	बाहर दिवारी	22.28	कार्य पूर्ण
33.		उपमंडी पाटन	कार्यालय रिपेरिंग	0.60	कार्य पूर्ण
34.		ग्राम अहिवारा	शमशान घाट से हिंगना तक डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं 05 स्थानों पर पुलिया निर्माण.	22.00	कार्य पूर्ण
35.		ग्राम उमरकोटी इंदिरा आवास भाटा रोड.	पुलिया निर्माण	1.28	कार्य पूर्ण
36.		ग्राम महकाकला भर्रीखार पहुंच मार्ग.	डब्ल्यू. बी. एम. रोड एवं पुलिया निर्माण	20.85	कार्य पूर्ण
37.		ग्राम सेमरी	पुलिया निर्माण	2.30	कार्य पूर्ण
38.		ग्राम पुरई डुमरखार	पुलिया निर्माण	2.33	कार्य पूर्ण
39.		ग्राम चिखली से टारबंध तक.	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं 07 स्थानों पर पुलिया निर्माण.	11.45	कार्य पूर्ण
40.		ग्राम भेण्ड्रा से सकरौद	डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं 03 स्थानों पर पुलिया.	19.92	कार्य पूर्ण
41.		ग्राम आमटी शीतला नाला.	पुलिया निर्माण	6.98	कार्य पूर्ण
42.		ग्राम पंचायत रहची से खपरी कांदुल नाला	डब्ल्यू. बी. एम. रोड एवं पुलिया निर्माण.	27.02	कार्य पूर्ण
			योग	**1075.91**	
1.	बालोद	मूल मंडी बालोद	अध्यक्ष महोदय हेतु चेम्बर निर्माण	4.97	कार्य पूर्ण
2.		ग्राम अकलवारा	पुलिया निर्माण	41.61	कार्य पूर्ण
3.		ग्राम जामगांव से जगतरा के मध्य.	पुलिया निर्माण	24.97	कार्य पूर्ण
4.		डोंडीलोहारा में ग्राम बिजोरा से डारागाँव के मध्य.	पुलिया निर्माण	41.26	कार्य पूर्ण
5.		डोंडीलोहारा में ग्राम कोटेरा से धनगांव के मध्य गोढ़िया नाला पर.	पुलिया निर्माण	8.28	कार्य पूर्ण
			योग	**121.09**	
1.	बेमेतरा	उपमंडी प्रांगण बेरला	बाउण्ड्रीवाल	0.50	कार्य पूर्ण
2.		उपमंडी प्रांगण बेरला	शौचालय निर्माण	0.50	कार्य पूर्ण
			योग	**1.00**	
			महायोग	**1198.00**	

वर्ष 2007-08

क्र.	मंडी का नाम	कार्य स्थल	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (राशि रु. लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	मूल मंडी प्रांगण	केंटीन निर्माण	16.72	कार्य प्रगति पर
2.		मूल मंडी प्रांगण	बाहर दिवारी	26.16	कार्य प्रगति पर
3.		मूल मंडी प्रांगण	इनपुट सेंटर	17.13	कार्य प्रगति पर
4.		मूल मंडी प्रांगण	फल सब्जी मंडी में सी. सी. रोड	84.93	कार्य प्रगति पर
5.		खुरसुनी बम्हनी मार्ग	पुलिया निर्माण	15.80	कार्य पूर्ण
6.		संकरी से गब्दी मार्ग पर	पुलिया निर्माण	15.80	कार्य पूर्ण
7.		सुरेगांव से दुधली पहुंच मार्ग.	पुलिया निर्माण	23.64	कार्य पूर्ण
8.		रेंगाकटेरा से चंदनडीह	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	25.00	कार्य पूर्ण
9.		सलोनी से भाटागांव	पुलिया निर्माण	9.49	कार्य पूर्ण
10.		किकिरमेटा से गातापारा	पुलिया निर्माण	9.49	कार्य पूर्ण
11.		बटरेल से धमना	पुलिया निर्माण	28.51	कार्य पूर्ण
			योग	**272.67**	
1.	बालोद	मूल मंडी प्रांगण	सी. सी. रोड निर्माण	65.78	कार्य पूर्ण
2.		मूल मंडी प्रांगण	शेण्ड्री शाप एवं कृषक विश्राम गृह निर्माण कार्य.	13.04	कार्य प्रगति पर
3.		मूल मंडी प्रांगण	प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	4.96	कार्य प्रगति पर
4.		उपमंडी प्रांगण गुजगहन	प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	4.96	कार्य प्रगति पर
5.		उपमंडी प्रांगण डौंडीलोहारा	प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	4.96	कार्य प्रगति पर
6.		उपमंडी प्रांगण डौंडीलोहारा	10 नग शेण्ड्री शाप निर्माण कार्य	12.72	कार्य प्रगति पर
7.		उपमंडी प्रांगण डौंडी	प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	4.96	कार्य प्रगति पर
8.		उपमंडी प्रांगण डौंडी	10 नग शेण्ड्री शाप निर्माण कार्य	12.72	कार्य प्रगति पर
9.		मरसकोला नाला पर	पुलिया निर्माण	11.12	कार्य पूर्ण
			योग	**135.22**	
1.	बेमेतरा	मूल मंडी प्रांगण	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	7.00	कार्य पूर्ण
2.		मूल मंडी प्रांगण	सायकल स्टैण्ड	2.00	कार्य पूर्ण
3.		मूल मंडी प्रांगण	10 नग शेण्ड्री शाप	12.45	कार्य प्रगति पर
4.		उपमंडी प्रांगण साजा	मुरम फिलिंग	1.74	कार्य पूर्ण
5.		उपमंडी प्रांगण साजा	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	6.96	कार्य पूर्ण
6.		उपमंडी प्रांगण खम्हरिया	बाउण्ड्री वाल	14.97	कार्य पूर्ण
7.		उपमंडी प्रांगण खम्हरिया	डब्ल्यू बी. एम. रोड	6.97	कार्य पूर्ण
8.		उपमंडी प्रांगण खम्हरिया	नीलाम कार्यालय भवन	2.98	कार्य प्रगति पर
9.		उपमंडी प्रांगण संबलपुर	06 नग शेण्ड्री शॉप	8.30	कार्य प्रगति पर
10.		ग्राम मक्खनपुर से कुवांगांव	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	24.40	कार्य पूर्ण
11.		ग्राम धनगाँव के पास	पुलिया निर्माण	24.40	कार्य पूर्ण
			योग	**112.17**	
			महायोग	**520.06**	

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 34) के भाग (ख) की जानकारी]

क्रमांक (1)	भुगतान वर्ष (2)	भुगतान किए जाने का दिनांक (3)
1.	2005-06	21-03-06 एवं 31-03-06
2.	2006-07	09-02-07, 15-03-07, 21-03-07, 22-03-07 एवं 24-03-07
3.	2007-08	25-07-07, 25-09-07, 24-10-07, 13-12-07, 09-01-08, 18-01-08, 12-02-08, 11-03-08, 24-03-08 एवं 26-03-08.